


कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

—:विज्ञप्ति:—

दिनांक 05.10.16 को निजिनिवेशकर्ताओ द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. वर्ग के लिए निर्मित मकानो की लॉटरी निकाली गई थी। जिसमे चयनित सफल आवेदको द्वारा वांछित दस्तावेजों की उपरान्त उनके आवंटन पत्र निजिनिवेशकर्ता द्वारा जारी कर दिये गये है। परन्तु कुछ आवेदको द्वारा आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात् भी प्रथम किस्त की राशि जमा नही कराई गई है। जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	मकान नम्बर	आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक
1	सुश्री रेनु दीक्षित	श्री किशन सहाय दीक्षित	LL-601	30-11-16
2	श्रीमती लक्ष्मी बाई जाटव	श्री ब्रजेश कुमार	LL-609	17-11-16
3	श्री फारुख खान	श्री इब्राहिम	LE-216	05-11-17
4	श्री राकेश कुमार मीणा	श्री मुरारी लाल मीणा	LE-507	05-11-17
5	श्री हिमांशु	श्री भगवान सिंह	LE-716	16-11-16
6	श्री अनिल कुमार चौहान	श्री सामेश्वर दयाल	TE-328(GH)	14-12-16
7	श्री कृष्ण कुमार मीणा	श्री बाली चरण मीणा	TLB-254(G+3)	14-12-16
8	श्री सहावीर प्रसाद शर्मा	श्री रामकिशोर शर्मा	TL0240(GH)	14-12-16
9	श्री योगेश कुमार मीणा	श्री रामफूल मीणा	TL-105(GH)	14-12-16
10	श्री सचिन कुमार	श्री राजसिंह	TL-338(GH)	14-12-16
11	श्री बलविन्दर सिंह	श्री गुरजीत सिंह	TL-313(GH)	14-12-16
12	श्री इकरमदीन	श्री आसीन खान	TL-136(GH)	14-12-16
13	श्रीमती संगीता	श्री शेर सिंह	TEB-250(G+3)	14-12-16
14	श्री कलैक्टर खान	श्री बण्डा खान	TEB-142(G+3)	14-12-16
15	श्री किशन सेठी	श्री गुलाब सिंह सेठी	TE-309(GH)	19-01-17
16	श्री विजय पाल यादव	श्री दिलीप सिंह यादव	TE-102(GH)	14-12-16
17	श्री महेश कुमार	श्री रामकिशन	TE-127(GH)	14-12-16
18	श्री अनिल कुमार गुप्ता	श्री बंशीधर गुप्ता	TE-223(GH)	14-12-16
19	श्री नारंगी बाई मीणा	श्री रामनिवास मीणा	TEB-248(G+3)	14-12-16


अतः आवेदक विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर सम्बन्धित निजिनिवेशकर्ता को राशि जमा करा दे अन्यथा अवधि गुजर जाने के पश्चात् चयनित मकान का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवास का आवंटन अन्य पात्र व्यक्ति को कर दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक की होगी।


 सचिव
 नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :- 2711/110
 प्रतिलिपी :-

दिनांक :- 4-5-18

1 वरिष्ठ लेखाधिकारी न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करावे।


 सचिव